न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 64 / 2022

1 बजरंगलाल उम्र 64 साल
2 सांवरमल उम्र 54 साल
3 सीताराम उम्र 50 साल
4 पवन कुमार उम्र 46 साल
5 रामकिशन उम्र 44 साल पुत्रगण मालाराम जाति खाती निवासीगण ढीलसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 सुरजा उम्र 86 साल पुत्र नन्दाराम जाति खाती निवासी ढीलसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
2 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गांगियासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
3 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ.धारा 225 राज. टी. एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 26.04.2022 बमुकदमा उनवानी सुरजा बनाम बजरंगलाल वगै प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु. नं. 24 / 2016 बअदालत उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

उपस्थिति :

1. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद कुमार गिल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 2/5/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 24/2016 में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अ.धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व अ.आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 जा. दी. बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 17, 17/2, 22/1, 157, 169 जिसके हाल खसरा नम्बर 25, 26, 27, 35, 36, 45, 117, 135, 45/893 वाके ग्राम ढीलसर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित जमीन खसरा नम्बर 25, 26, 27, 35, 36 अपीलान्ट/प्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 5 के पड़दादा भूरा उर्फ भूरू के नाम से मिसल हैकियत संवत 1999 से दर्ज रिकार्ड है। इस भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का या उसके पूर्वजो का कभी भी नाम दर्ज नहीं रहा। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष एक फर्जी लिखावट लिखी होना बतलाते हुए व इस जमीन की खसरा गिरदावरी में इनके पूर्वज नन्दाराम की काश्त दर्ज होने व नन्दाराम द्वारा इस जमीन का लगान ठिकाने के समय से अदा किया जाना बतलाये जाने के आधार पर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपने आपको इस जमीन का खातेदार काश्तकार होना बताया। अपीलान्टस/अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 5 की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा कोई फर्जी लिखावट बनाकर प्रस्तुत की गई है उसके आधार पर किसी व्यक्ति को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते तथा यह भी स्पष्ट किया कि खसरा गिरदावरी किसी भूमि के राजस्व रिकार्ड की श्रेणी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

में नहीं आता। यदि किसी एक आद खसरा गिरदावरी के कथित नन्दाराम का नाम दर्ज होकर उसकी काश्त दर्ज है तो भी इसके आधार पर न तो उक्त नन्दाराम खातेदार काश्तकार हो सकता तथा न उसके वारिसान प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 आदि में से कोई खातेदार काश्तकार हो सकता। जो लगान की रसीदे प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की ओर से प्रस्तुत किया जाना बताई है उनका अवलोकन किया जावे तो इन रसीदों में विवादित जमीन अथवा किसी भी जमीन के खसरा नम्बर अंकित नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का जब विवादित जमीन पर न तो कब्जा है तथा न राजस्व अभिलेख में विवादित जमीन उसके नाम से कभी दर्ज रही है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का प्रथम दृष्टया प्रकरण होना नहीं माना जा सकता तथा न सुविधा संतुलन या अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को ही प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हक में होना माना जा सकता। विचारण न्यायालय के विचाराधीन निर्णय आदेश का अवलोकन किया जावे तो इसमें न तो प्रथम दृष्टया प्रकरण होने के बिन्दु पर विचार किया गया है तथा न सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर कोई गौर किया गया है जबकि कानून की यह सुस्थापित व्यवस्था है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में उक्त अनुसार तीनों बिन्दुओं पर गौर करते हुये माकूल आदेश पारित करना होता है तथा यदि अदालत द्वारा तीन में से एक भी बिन्दु पर गौर किये बिना आदेश दिया है तो इस प्रकार का दिया गया आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य माना गया है। विचारण न्यायालय का आदेश जैर बहस उक्त विवेचन व कानून की स्थिति के अनुसार खिलाफ होने से निरस्त होने योग्य है जो निरस्त फरमाया जावें। विवादित जमीन पर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का भौतिक कब्जा नहीं होने से प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का प्रथम दृष्टया प्रकरण होना नहीं माना जा सकता तथा न सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पक्ष में होना माना जा सकता। विचारण न्यायालय ने उक्त समस्त कानूनी बातों पर बीना गौर किये आदेश देने में भयंकर भूल की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

है। अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 26.04.2022 को निरस्त फरमाया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2013(1) पेज 123,आरआरटी 2014(1) पेज 618, आरआरटी 2015(1) पेज 633 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि जहां तक प्रश्न वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा का है, प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूमि उनके पड़दादा की स्वअर्जित सम्पति होना दर्ज किया है जबकि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी के पड़दादा भूरा की स्वअर्जित सम्पति है। प्रतिवादी की ओर से ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि वादग्रस्त भूमि पर वादी द्वारा जबरन कब्जा किया गया हो, वादी का उस पर कोई अधिकार/स्वामित्व नहीं है। पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि के स्वामित्व के संबंध में स्थाई समाधान अथवा किसी एकपक्ष का स्वामित्व के प्रश्न पर विचारण मूलवाद में किया जाना है। रिकार्ड की यथास्थिति भूमि के स्वामित्व होने या नहीं होने का निर्धारण नहीं करती। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय मूलवाद के निर्णय तक यथास्थिति का आदेश प्रदान करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा का है, प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूमि उनके पड़दादा की स्वअर्जित सम्पति होना दर्ज किया है जबकि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी के पड़दादा भूरा की स्वअर्जित सम्पति है। प्रतिवादी की ओर से ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि वादग्रस्त भूमि पर वादी द्वारा जबरन कब्जा किया गया हो, वादी का उस पर कोई अधिकार/स्वामित्व नहीं है। पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि के स्वामित्व के संबंध में स्थाई समाधान अथवा किसी एकपक्ष

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

का स्वामित्व के प्रश्न पर विचारण मूलवाद में किया जाना है। रिकार्ड की यथास्थिति भूमि के स्वामित्व होने या नहीं होने का निर्धारण नहीं करती। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय मूलवाद के निर्णय तक यथास्थिति का आदेश प्रदान करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है।

यहां यह भी विचारणीय है कि मूलवाद के निस्तारण तक उभयपक्षों को विवादित भूमि की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति से पाबंद करने पर किसी भी पक्षकार की हितों पर विपरित प्रभाव नहीं पड़ता है अपितु पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता नहीं होती है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 2/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)